डीजी-परिपत्र संख्या-23/2019

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः जून 19 ,2019

विषयः- 12 वर्ष से कम उम्र की बालक/बालिकाओं के साथ घटित दुष्कर्म एवं हत्या की घटनाओं की विवेचना एवं वादों की प्रभावी पैरवी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि महिलाओं/बालको के प्रति विशेषकर 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ घटित अपराध अत्यन्त गम्भीर एवं निन्दनीय हैं एवं समाज तथा न्याय व्यवस्था के लिए गम्भीर चिन्तन का विषय भी है। इस प्रकार के घटित अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु पुलिस के द्वारा त्वरित प्रभावी कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

आप सहमत होगें कि इस प्रकार के घटनाओं के घटित होने पर जहाँ पुलिस के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है वहीं आम जनमानस में भय का भी वातावरण परिलक्षित होने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि महिलाओं/बालको के प्रति इस प्रकार के घटित अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण, वैज्ञानिक तथ्यपरक विवेचना एवं शीघ्रता से अभियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन हेतु समय-समय पर इस मुख्यालय से पार्श्वांकित परिपत्र अनुपालनार्थ निर्गत किये गये हैं, परन्तु कतिपय जनपदों में घटित इस प्रकार की घटनाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सभी के द्वारा ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु कड़ाई से अनुपालन नही किया/कराया जा रहा है।

डीजी परिपत्र संख्या-03/13 दिनांक 17.01.13
डीजी-सात-एच-3(23)/2012 दिनांक 13.04.13
डीजी परिपत्र संख्या-16/13 दिनांक 29.04.13
डीजी परिपत्र संख्या-19/13 दिनांक 06.05.13
डीजी परिपत्र संख्या-62/13 दिनांक 14.11.13
डीजी परिपत्र संख्या-45/15 दिनांक 15.06.15
डीजी परिपत्र संख्या-68/15 दिनांक 07.10.15
डीजी परिपत्र संख्या-20/16 दिनांक 13.04.16
डीजी परिपत्र संख्या-49/16 दिनांक 12.08.16
डीजी परिपत्र संख्या-16/18 दिनांक 21.04.18

इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पॉक्सों एक्ट, हत्या एवं बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों की विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु परिपत्र निर्गत कर मॉनिटरिंग सेल की मासिक बैठक में विचार विमर्श कर कार्यवाही किये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं, परन्तु ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसे संवेदनशील प्रकरणों पर मानिटरिंग सेल की बैठक में रूचि नही ली जा रही है।

विशेषकर 12 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाओं के साथ घटित दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के गुणवत्तापरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी हेतु आपके अनुपालन/मार्गदर्शन हेतु निम्नांकित बिन्दु सुझाये जा रहे हैः-

- गुणवत्तापरक विवेचना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि अविलम्ब घटना स्थल का वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण करते हुए विवेचक को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु अपना मार्गदर्शन करते हुए सम्बन्धित घटना स्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराये जाने एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु फील्ड यूनिट की सहायता प्राप्त करने हेतु समुचित निर्देश दिये जाये।
- इस प्रकार के घटित अपराध में यदि आडियो/वीडियो साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते हैं तो नियमानुसार सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप साक्ष्यों को सुरक्षित किया जाये।
- 12वर्ष से कम आयु की बालक/बालिकाओं के साथ घटित दुष्कर्म/सामूहिक दुष्कर्म/अपहरण एवं छेड़खानी जैसी घटनाओं के सम्बन्ध में भा.द.वि. की समुचित धाराओं के साथ-साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012(पोक्सो एक्ट) व क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ड एक्ट 2013 के अन्तर्गत समुचित प्राविधानों में तत्काल प्र0सू0रि0 पंजीकृत कर तत्परता से कार्यवाही किया जाये।

Scanned by CamScanner

- दुष्कर्म पीड़ितो का तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाये तथा चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजी जाने वाली आख्या में सम्बन्धित घटना को इंगित करते हुए अन्य जाँचों के अतिरिक्त डीएनए प्रोफाइलिंग का भी अनुरोध अवश्य कर लिया जाये।
- पीड़ितो का अभिकथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के निहित प्रविधानों के अनुसार अविलम्ब करा लिया जाये एवं 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा यथा सम्भव उसके परिवार के समक्ष अंकित किया जाये। पीड़िता की मर्यादा एवं गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाये तथा उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाये।
- बलात्कार की घटनाओं मे अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त द0प्र0सं0 की धारा 53ए के अनुसार उसका चिकित्सकीय परीक्षण तत्काल कराया जाये।
- ऐसे प्रकरणों में अधिकाधिक वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन कर एक माह के अन्दर शीघ्रातिशीघ्र विवेचना पूर्ण कर मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना के मध्य पीड़िता का अभिकथन अंकित करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि पीड़िता एवं अभियुक्त किसी समय पर किसी भी प्रकार से सम्पर्क में न आयें।
- ऐसे सभी प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012(पोक्सो एक्ट) के अन्तर्गत विशेष रूप से गठित/पदाभिहित मा0 न्यायालयों मे सूचीबद्ध कराया जाये। विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिये जाने के 30 दिवस के अन्दर पीड़िता का साक्ष्य अभिलिखित कराना सुनिश्चित किया जाये।
- अभियोग का शीघ्र परीक्षण सुनिश्चित कराये जाने से गवाहों के पक्षद्रोही होने एवं अभियोग के विमुक्त होने की सम्भावना कम होती है अतएव यह आवश्यक है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी एवं मा0 जनपद न्यायधीश से समन्वय स्थापित कर इस प्रकार के वादों की धारा 309 द0प्र0सं0 के निहित प्राविधानों के अनुरूप दिन-प्रतिदिन सुनवाई सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध करें ताकि शीघ्रता से अभियोग का निस्तारण कराया जा सके। इस सम्बन्ध में जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का भी यथोचित सहयोग लिया जाये।
- मा0 न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु **थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को उत्तरदायी बनाते हुए आप नियमित पर्यवेक्षण करें तथा लोक अभियोजकों को भी मासिक अपराध गोष्ठी में सम्मिलित करते हुए उन्हें इन प्रकरणों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने हेतु प्रेरित करें।**
- विवेचक का यह उत्तरदायित्व होगा कि इस प्रकार के अपराधों की विवेचना अविलम्ब निस्तारित करें, ताकि अभियुक्त धारा 167(2) द0प्र0सं0 का लाभ प्राप्त कर जमानत न प्राप्त कर सके।
- ऐसे सभी प्रकरणों में पीड़िता एवं उसके परिवार को दी जाने वाली राजकीय सहायता की समस्त आवश्यक कार्यवाही तत्काल पूर्ण कर ली जाये।
- जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी द्वारा तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए यथोचित मार्गदर्शन एवं आवश्यक दिशा-निर्देश विवेचक को दिया जाये।
- ऐसे अपराधों की समीक्षा एवं अनुश्रवण आप द्वारा स्वयं किया जाये तथा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को इस दिशा में पर्याप्त संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण एवं इस विषय पर कार्य करने वाले प्रतिष्ठित एन0जी0ओ0 के साथ कार्यशाला का भी आयोजन करा लिया जाये।

Scanned by CamScanner

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्राविधानों एवं पूर्व में निर्गत परिपत्रों का स्वयं अध्ययन कर मासिक अपराध गोष्ठी में अपने अधीनस्थों को अवगत करा दें, साथ ही महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध घटित अपराधों के पंजीकरण, अनावरण एवं साक्ष्य संकलन तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तत्परता से अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर गुणदोष के आधार पर विवेचनाओं का गुणवत्तापरक निस्तारण करायें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवे, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner